बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्याः–ल0सिं0(मो0)बैठक 335/2019-1035 (मो0) /पटना,दिनांकः– 28.5.2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता (मु0),
अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिचाई प्रमंडल.....।

विषयः– प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2020 को विडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2020 को विडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथावत्।

विश्वासभाजन

28/5/2020
अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1035 (मो0) /पटना, दिनांक– 28-5-2020

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/5/2020
अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\ASHUTOSH-2020\MAY\BAITHAK VC.DOC

दिनांक-23.05.2020 को विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में दिये गये निदेश:-

- **15 जून से पूर्व कार्य समाप्ति :** प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए 15 जून से पूर्व सभी तालाबों का कार्य पूर्ण कर एवं शत् प्रतिशत मापी-पुस्त में प्रविष्टि दर्ज करें एवं इसे विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि मिट्टी कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता न हो तथा तालाब में इस वर्षात में ही पानी भर जाय।
- **तलाबों में समुचित इनलेट एवं आउटलेट :** तालाबों में इनलेट एवं आउटलेट का समुचित प्रावधान करें। यदि बरसात में भी तालाब में पानी नहीं भरे तो इसे व्यर्थ अपव्यय मानते हुए जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी । यदि इनलेट के लिए 100-200 मीटर का चैनल भी बनाना पड़े तो उसका निर्माण करें।
- **ड्रोन से फोटोग्राफी एवं विडियोंग्राफी :** विभाग द्वारा 1-2 ड्रोन खरीदने हेतु निदेश दिया गया ताकि योजनाओं का निरीक्षण, मुल्याकंन एवं अभिलेख संधारण किया जा सके ।
- **प्रवासी श्रमिकों को कार्य :** आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निबंधित श्रमिको को उनकी स्कील सेट के अनुसार संवेदकों से अधिक से अधिक कार्य में लगाने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि श्रमिकों को रोजगार मिल सके और कार्य में भी तेजी आये ।
- **कनीय अभियंता के कार्यों का बटवारा :** विभागीय पत्रांक-928(मो0), दिनांक-14/05/2020 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
- **कनीय अभियंता संविदा :** प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया की संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता से भी कार्य लें । कुछ कार्यपालक अभियंता द्वारा RWD के कनीय अभियंता से कार्य नहीं किया जा रहा है । कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि इस संदर्भ में अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से पत्राचार कर कार्य नहीं करने वाले कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप गठित कर भेजे ताकि उन पर विभागीय कार्रवाई/बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकें ।
- कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय एवं जमुई को आदेश न माननें, अधीनस्थ कर्मियों से कार्य नहीं लेने, खराब प्रगति इत्यादि के आरोप में प्रपत्र 'क' गठित करने हेतु निदेशित किया गया । (अनुपालन : अधीक्षण अभियंता मुख्यलाय अनुश्रवण)
- **कार्यों के Duplicacy को रोकने के लिए :** सभी जिलों में विभाग द्वारा चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं अन्य विभागों को पत्र के माध्यम से देने हेतु अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय अनुश्रवण को निदेशित किया गया ।
- **आवंटन प्रत्यार्पण के लिए :** सभी कार्यपालक अभियन्ता को निदेशित किया गया कि जो कार्य 31 मई तक पूर्ण नहीं हो सकता है तो शेष राशि को शीघ्र प्रत्यार्पित करें ताकि आवंटन अन्य प्रमण्डलों को दिया जा सकें ।
- **कार्य योजनाओं को Drop करने के संबंध में :** कार्यपालक अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि जिन तालाबों में अभी भी पानी भरा हुआ है तथा कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है या किसी अन्य योजना द्वारा कार्य करा लिया गया है तो उसे Drop करने हेतु उचित माध्यम से प्रस्ताव दें । जिन योजनाओं में वाद/अतिक्रमण या अन्य मामले हो तो जिलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें ।

- **आवंटन हेतु अनुशंसा :** जो भी कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो गया हो उसे जिलाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर आवंटन खर्च किया जाय । 50 प्रतिशत तक का भुगतान कार्यपालक अभियन्ता स्वयं जाँच कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए संवेदक को राशि का भुगतान करें ताकि आंवटन की द्वितीय किस्त निर्गत किया जा सके । 50 प्रतिशत से ज्यादा व्यय करने हेतु जिलापदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित अधियाचना भेंजे।
- जिन योजनाओं पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसे 31 मई से पूर्व प्री-लेवल मापी कर कार्य प्रारंभ करें ।
- **योजनाओं के नाम या प्रशासनिक स्वीकृति में सुधार :** बहुत सी योजनाओं का कार्य विधिवत निविदा, ऐग्रीमेंट होने के बाद प्रारंभ कर दिया गया है परन्तु उन योजनाओं के नाम में कुछ त्रुटियाँ है । प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त योजनाओं का कार्य पूर्ण कराते हुये आवंटित राशि से पत्रांक-888(मो0) दिनांक-06/05/2020 की कंडिका (ii) के आलोक में भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार करें एवं योजनाओं के नाम सुधार हेतु उचित माध्यम से विभाग को भेजें ।
- **खरौना तालाब :** लघु सिंचाई प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण मुक्त के पश्चात् इसका Revised-Estimate अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय अनुश्रवण को भेज दिया गया है । मुख्यालय अनुश्रवण को निदेश दिया गया की इसके प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई करें ।
- **मिशन 2.51 :** सरकार के "जल-जीवन-हरियाली" अभियान के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 09 अगस्त 2020 को मिशन 2.51 के तहत 2 करोड़ 51 लाख एक दिन में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है । कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि जिन-जिन योजनाओं में वृक्षारोपण करना है, वैसी योजनाओं को चिन्हित कर कार्यपालक अभियंता DFO से समन्वय करते हुये वृक्ष प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे एवं इसकी प्रति विभाग को भी दें । वृक्ष की ऊचाई 10 फीट से ऊपर हो । अगर DFO द्वारा वृक्ष उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियमानुसार बाजार से वृक्ष क्रय करें ।

प्रधान सचिव महोदय का संचिका में अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

28/05/2020

(गोपाल मीणा)

अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग ।